रिटायर्ड जज व अधिवक्ताओं की सेवा लेगा रेरा

रेरा: अब सुलह मंच की संख्या बढ़ेगी, तेजी से सुलझेंगे विवाद

सिटी रिपोर्टर | पटना

राजधानी समेत राज्यभर में बिल्डरों और ग्राहकों के बीच होने वाले विवादों को तेजी से सुलझाया जाएगा। इसके लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार की ओर नई व्यवस्था शुरू होगी। लंबित मामलों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए मध्यस्थता बेंच की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए अब सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की सेवाएं ली जाएगी। इसमें ऐसे न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) द्वारा आयोजित मध्यस्थता पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वर्तमान में रेरा बिहार में दो सदस्यों और न्याय निर्णय अधिकारी के पद रिक्त हैं। ऐसे में इनकी जगह रिटायर्ड विशेषज्ञों की सेवा लेकर मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा।

मध्यस्थता के बेंच की संख्या बढ़ेगी रेरा ने बीएसएलएसए से मध्यस्थता में विशेषज्ञता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के नाम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। बीएसएलएसए द्वारा रेरा को सूची उपलब्ध करा दी गई है। इस सूची के आधार पर उन सभी को सुलह प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनकी सहमति के संबंध में पत्र भेजे गए, जिन्होंने अपनी सहमति दी है। इस नई व्यवस्था के बाद मध्यस्थता बेंच की संख्या बढ़ जाएगी।

रोस्टर के आधार पर सुलह मंच होगा तैयार

दायर मामलों को रोस्टर के आधार पर सुलह मंचों को आवंटित किया जाएगा। प्राधिकरण ने 2022 में अपना सुलह मंच शुरू किया था और तब से इसकी सुनवाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश और प्रमोटरों और उपभोक्ताओं के एक-एक प्रतिनिधि द्वारा की जा रही है। ऐसे में तीन वर्षों में प्राप्त अनुभव के बाद नई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

देश के अन्य राज्यों में लागू : महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के रेरा ने स्वयं के सुलह मंच का गठन किया है। अब रेरा बिहार भी इस व्यवस्था को शुरू करने जा रहा है।